



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1656 वर्ष 2026

राजेंद्र कुमार
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार श्रीवास्तव
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और राज्य प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद की बात सुनी।
- वर्तमान रिट याचिका में मांगी गई राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 29.11.2025 को जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में दिनांक 09.12.2025 को दिए गए उत्तर पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2, जिला कमांडेंट, होम गार्ड विभाग, जिला चिबकूट द्वारा उत्तर पर विचार किया जाएगा।
- दोनों पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, याचिका का निपटारा करते हुए प्राधिकरण को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के जवाब पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जा रहा है।
- आज दाखिल किए गए निर्देशों को परिशिष्ट ए के रूप में दर्ज किया गया है।

4 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"